न्यायालयः–रवि चौकसे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला–मण्डला (म.प्र.)

Registration No.	**RCT NO. 839/2022**
Filling No	**3405/2022**
C.N.R.No.	**MP5101-004626-2022**
filing Date	**13-10-2022**

(प्रथम सूचना रिपोर्ट/अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

अभियोजन	म0प्र0 राज्य द्वारा पुलिस चौकी चाबी, थाना मोहगांव जिला– मण्डला (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री जितेन्द्रसिंह, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	मोहनी बाई पति नाथूराम साहू, आयु–45 वर्ष, निवासी–चाबी, थाना–मोहगांव, जिला–मण्डला (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री शिवशंकर पटेल अधिवक्ता

अपराध की तिथि	19.08.2022
प्र.सू.रि. की तिथि	19.08.2022
आरोप पत्र की तिथि	03.11.2022
आरोपों के विरचना की तिथि	03.11.2022
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	05.11.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तिथि	05.11.2022
निर्णय की तिथि	05.11.2022
दण्डादेश, यदि कोई हो की तिथि	कुछ नहीं।

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	मोहनीबाई	——	13.10.2022	294, 324, 506 भाग–2 भा.द.वि.	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	निरंक

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन साक्षीः–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ0सा0–01	नाथूराम	आहत साक्षी

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन साक्षीः–

स0क0	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1.	प्रदर्श पी–01 से 03/अ0सा0–01	देहाती नालसी, नक्शा मौका, धारा 161 दं0प्र0सं0 के कथन

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

स0क0	**भौतिक सामग्री संख्या**	**विवरण**
1.	आ0व0	कुछ नहीं

पुलिस चौकी चाबी, थाना मोहगांव, जिला मण्डला, जिला मण्डला, (मध्यप्रदेश) के अपराध क्रमांक 292/2022 अंतर्गत धारा 294, 324, 506 भाग–2 भारतीय दण्ड संहिता, से उद्भूत प्रकरण।

––:: नि र्ण य ::––

(आज दिनांक–05/11/2022 को घोषित)

1– अभियुक्त मोहनी साहू के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है कि उसने दिनांक 19.08.2022 को समय 12:00 बजे स्थान प्रार्थी के घर का आंगन, ग्राम चाबी थाना मोहगांव में आह्त नाथूराम साहू के सिार में लकड़ी के टेप्पा (टुकड़े) से मारकर स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित की।

2– प्रकरण में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि अभियुक्त एवं फरियादी व आह्त के मध्य दिनांक 05.11.2022 को राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 294 506 भाग–2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया है एवं धारा 324 भा0दं0सं0 राजीनामा योग्य न होने के कारण उक्त धारा के संबंध में निर्णय किया जा रहा है।

3– अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 19.08.2022 को फरियादी नाथूराम साहू ने इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई कि उक्त दिनांक को वह अपनी पत्नी मोहनी बाई के साथ घर में बैठा था तभी दिन के करीब 12:00 बजे उसकी पत्नी आरोपी मोहनी बाई ने उसे बोला कि घर में रखा हुआ बटरा (मटर) को बेच कर शराब क्यों पिये हो और मां–बहन की गंदी–गंदी गालियां देने लगी, उसने मोहनी बाई को गालियां देने से मना किया तो मोहनी बाई ने तू कौन होता है कहकर आंगन में रखे लकड़ी के टेप्पा (टुकडा) से फरियादी के सिर में बांये तरफ मार दिया जिससे खून निकलने लगा एवं मोहनी बाई ने कहा कि आज के बाद बटरा बेचकर शराब पिये तो जान से खत्म कर दूंगी।

4– उक्त आधार पर पुलिस चौकी चाबी, थाना मोहगांव द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0/2022 धारा 294, 324, 506 भाग–2 भा.द.सं. की देहाती नालसी लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। मारपीट में आह्त को आयी चोटों के लिए आह्त का मुलाहिजा कराया गया। तत्पश्चात् घटना स्थल का मौका

नक्शा, घटना में प्रयुक्त लकड़ी का टुकडा जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना मोहगॉव में अपराध क्रमांक 292/2022 अंतर्गत धारा 294, 506, 324 भा0दं0सं0 का पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त मोहनीबाई के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 13.10.2022 को पेश किया गया।

5– अभियुक्त के विरूद्ध इस निर्णय की कंडिका 1 अनुसार आरोप पत्र विरचित कर, पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार कर विचारण की मांग की। अभियुक्त ने धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

6– न्यायिक विनिश्चय हेतु मुख्य विचारणीय बिन्दु निर्मित किए गए है, जो निम्नलिखित है :–

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19.08.2022 को समय 12:00 बजे स्थान प्रार्थी के घर का आंगन, ग्राम चाबी, थाना मोहगांव, जिला मण्डला म0प्र0 में आहत नाथूराम साहू के सिर में लकड़ी के टेप्पा (टुकडे) से मारकर स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित किया ?
2. दण्डादेश, यदि कोई हो तो ?

<u>विचारणीय प्रश्न क0 1 का सकारण निष्कर्षः–</u>

7– अभियोजन साक्षी आहत/फरियादी नाथूराम (अ0सा0–01) का कहना है कि अभियुक्त मोहनी उसकी पत्नी है। घटना अगस्त माह की दिन के 12:00 बजे उसके घर के आंगन चाबी की है, घटना दिनांक को उसका, उसकी पत्नी से घरेलू बात को लेकर आपसी विवाद हो गया था और इसी विवाद में वह गिर गया था, जिससे उसे सिर में चोट आई थी। घटना के संबंध में उसके द्वारा देहाती नालसी प्रदर्श पी–1 पुलिस को लेख कराई थी। बाद में पुलिस आई थी और नक्शा मौका प्रदर्श पी–2 बनाया था। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसका अस्पताल में डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया था और

उससे पूछताछ कर उसके बयान लेख किये थे।

8– साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिप्ररीक्षण में प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा पूछे जाने वाले सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के किसी भी सुझाव का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त ने आंगन में रखी लकड़ी के टेन्पा से उसके सिर में मारा था, जिससे उसे सिर में चोट आई थी। साक्षी द्वारा पुलिस कथन प्रदर्श पी–3 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को दिये जाने से इंकार किया है।

9– इसके अलावा उक्त साक्षी के द्वारा विचारणीय आरोप के संबंध में ऐसे कोई साक्ष्य नहीं दी गई है जिससे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गठित होना दर्शित हो। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी द्वारा उसे मारपीट करना लेख कराया गया है परंतु उक्त उसके द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नहीं दी गई है जिससे यह दर्शित हो कि अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट किया हो बल्कि इसके विपरीत आह्त के द्वारा अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया गया है कि अभियुक्त ने लकड़ी के टेंपा से उसे सिर पर मारा था जिससे उसे चोट आई थी। इस प्रकार स्वयं फरियादी के द्वारा ही अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया गया है। जहां तक बात देहाती नालसी प्र0पी0 01 की है तो देहाती नालसी स्वयं में सारभूत साक्ष्य नहीं है ऐसी दशा में सारभूत साक्ष्य के आभाव में उक्त देहाती नालसी का कोई महत्व नहीं रह जाता है।

10– इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में अभियुक्त पर विचारणीय आरोप के संबंध में आवश्यक विशिष्टियां अभिलेख पर नहीं हैं और ऐसी विशिष्टियों को अभियोजन के द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे भी प्रमाणित नहीं किया गया है। अभियोजन के द्वारा आहत साक्षी के रूप में नाथूराम (अ0सा0–01) को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में शेष अभियोजन साक्षी के साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है, क्योंकि अभिलेख में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये उक्त शेष अभियोजन साक्ष्य कराने या न कराने से प्रकरण के गुण दोषों पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना दर्शित नहीं है। यदि शेष संपूर्ण साक्ष्य को यथावत् भी मान लिया जाता तब भी उक्त साक्षी की

साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराया जाना संभव नहीं है।

11— उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियोजन यह युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19.08.2022 को समय 12:00 बजे स्थान प्रार्थी के घर का आंगन, ग्राम चाबी, थाना मोहगांव, जिला मण्डला म0प्र0 में आहत नाथूराम साहू के सिर में लकड़ी के टेप्पा (टुकडे) से मारकर स्वेच्छापूर्वक साधारण उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को अंतर्गत धारा 324 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी न पाते हुये दोषमुक्त किया जाता है।

12— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति एक लकड़ी का टुकड़ा (टेन्पा) मूल्यहीन एवं अनुपयोगी होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

13— अभियुक्त के द्वारा कोई अवधि न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत नहीं की गई है अतः उक्त आशय का अंतर्गत धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा।

14— अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है।

स्थानः— मण्डला
दिनांकः—05.11.2022

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही/—
रवि चौकसे
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मण्डला (म0प्र0)